

Bitumen emulsion पर Rate of लग 4.5%.

पत्रांक

/आयु० क० उत्तरार० /धारा-५७अनुभाग/वार्षिक/2011-12/दै०दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,

(धारा-५७, अनुभाग)

देहरादूनः दिनांकः अमस्त 2011

20/9/

प्रार्थना पत्र सं० - 2555/20.06.2011

सर्वश्री हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,

प्लाट नं०-१ नेहरू इन्कलेव, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

उत्तराखण्ड राज्य में फर्म द्वारा घोषित मुख्यालय :-
लण्डोरा, रुडकी।

उपस्थिति- सर्वश्री हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, लण्डोरा रुडकी की ओर से श्री शुभाशीष मोहन्ती
मैनेजर मार्केटिंग व अधिवक्ता श्री एस०पी०बाटला।
निर्णय का दिनांक- सितम्बर, 2010

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-५७ के अन्तर्गत निर्णय।

1. सर्वश्री हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, प्लाट नं० - १ नेहरू इन्कलेव, गोमतीनगर, लखनऊ-226010 एवं उत्तराखण्ड में घोषित मुख्यालय लण्डोरा, रुडकी द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा-५७ के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये यह तथ्य रखा गया है कि फर्म द्वारा पेट्रोल, डीजल, बिटुमिन, लूब्रीकेन्ट, कैरोसीन ऑयल, ऐल०पी०जी०, ए०टी०एफ० की खरीद बिकी का व्यवसाय किया जा रहा है। अब फर्म द्वारा बिटुमिन इमल्शन (Bitumen emulsion) की खरीद बिकी का व्यवसाय भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन करदाता को बिटुमिन इमल्शन (Bitumen emulsion) की खरीद बिकी पर उत्तराखण्ड राज्य में कर की दर के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। अतः उपरोक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि बिटुमिन इमल्शन (Bitumen emulsion) पर कर की दर के संदर्भ में करदाता को अवगत कराया जाय।

2. ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार के पत्र संख्या 1027/
दिनांक- 11.7.2001 द्वारा विभागीय मत प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि बिटुमिन इमल्शन,
बिटुमिन्स का ही एक रिफाइन्ड एवं एड्यांस स्वरूप है। इसका प्रयोग भी बिटुमिन्स के भौति ही सलक
बनाने में किया जाता है। वर्तमान में बिटुमिन्स पर कर की दर 4.5 प्रतिशत है। उनके मतानुसार इस वस्तु
पर (Bitumen emulsion) पर भी 4.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए होगी।

3. प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु, फर्म की ओर से फर्म के मैनेजर मार्केटिंग श्री शुभाशीष मोहन्ती
अपने अधिवक्ता श्री एस०पी०बाटला, के साथ दिनांक 8.8.11 को उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में
उल्लिखित तथ्यों को रखते हुए, एक पृष्ठ का लिखित प्रत्यावेदन दाखिल किया गया है। इस प्रत्यावेदन
के साथ निम्नलिखित अभिलेख भी संलग्न किये गये हैं:-

1-- एडिशनल कमिशनर (वैट एण्ड आई०टी०) कॉर्मर्शियल टैक्स डिपार्टमेन्ट राजस्थान जधापुर के राजस्थान
वैट एच०ट 2003 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.10.2009 की छायाप्रति।

2-- INDIAN STANDARD PAVING BITUMEN SPECIFICATION (THIRD
REVISION) आई०एस०-७३: 2006 की छायाप्रति।

3-- भारतीय मानक- सड़कों के लिए बिटुमिन-पायस (धनायनिक टाइप)-विशिष्टि (दूसरा परीक्षण) के 20
पृष्ठों की छायाप्रति।

अपने उक्त प्रत्यावेदन में उनके द्वारा बताया गया कि बिटुमिन एवं बिटुमिन इमल्शन में कोई अन्तर नहीं है। बिटुमिन एक टोस द्रव्य है जबकि बिटुमिन इमल्शन लिकिंग (द्रव) के फार्म में होती है। लेकिन दोनों वस्तुओं का प्रयोग एक ही रूप में किया जाता है। उनके द्वारा साजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम-2003 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों का उल्लेख करते हुये धारा-4 के क्रमांक-22 पर अंकित बिटुमिन इमल्शन को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य बताया गया। पुनः उल्लेख किया गया है कि प्रथम दृष्ट्या बिटुमिन इमल्शन बिटुमिन से ही तैयार (उत्पादित) किया जाता है और तकनीकी दृष्टि से दोनों वस्तुयें एक ही प्रकार की हैं।

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में विभागीय मत एवं फर्म द्वारा सुनवाई के समय रखे गये तथ्यों पर विचार किया गया। व्यापारी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में मुख्य रूप से 'बिटुमिन इमल्शन' की खरीद विक्री के विन्दु पर उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत करदेयता के सन्दर्भ में जानकारी चाही गयी है। करदाता द्वारा प्रस्तुत बिटुमिन इमल्शन की तकनीकी व्याख्या के अनुसार Bitumen Emulsion is a dispersion of bitumen in water achieved by the use of suitable chemical emulsifying agents. बिटुमिन की भाँति ही बिटुमिल इमल्शन का प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाता है।

अतः स्पष्ट प्रमाणित है कि बिटुमिन एवं बिटुमिन इमल्शन का प्रयोग एवं उद्देश्य एक ही प्रकार का है केवल कैमिकल इमेलिसफाइन एजेंट के प्रयोग के साथ बिटुमिन में पानी गिलाकर सुविधानुसार द्रव रूप में बिटुमिन इमल्शन तैयार करके प्रयोग करने के आधार पर बिटुमिन इमल्शन को बिटुमिन से भिन्न वस्तु नहीं माना जा सकता।

अतः उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत कर की दरों के सन्दर्भ में दी गयी अनुसूची-11 (ख) के क्रमांक-20 पर अंकित बिटुमिन (कोलतार) की भाँति बिटुमिन इमल्शन पर भी अतिरिक्त कर सहित कर की दर 4.5 प्रतिशत ही रहेगी।

उपरोक्तानुसार धारा-57 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का उत्तर दिया जाता है।

(डॉ० हेमलता ढौड़ियाल)

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ०प०स० २६३५ - दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून।
- 2- एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर।
- 3- एडिशनल कमिशनर (ऑडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।
- 4- समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यो) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/वार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 5- ज्वाइंट कमिशनर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 6- ज्वाइंट कमिशनर (वि०अनु०शा००/प्र०) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर।
- 7- डिप्टी कमिशनर (क०नि०) वाणिज्य कर हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी००, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की वैवासाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 9- पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल, एन०आई०सी०४, सुभाष रोड, देहरादून।
- 10- संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 11- नेशनल लॉ हाउस वी-२ मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।

पृ०ल सूच्या द्वारा TSZ

आवश्यक कार्यवाही करें।

5319

ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपाल) वाणिज्य कर

21/9/11 - रामन सम्भाग, देहरादून

आयुक्त कर,

उत्तराखण्ड।